राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 209वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य(जॉइंड ऑनलाइन)
4. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
5. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
6. सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. श्री प्रदीप कुमार	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री लोमा वशिष्ट	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
5. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6. श्री जयदीप कुमार बनर्जी	अनुभाग अधिकारी
7. श्री कुंवर पाल सिंह	विशेष रेपोटियर्स
8. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक(सीएंडआई)
9. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक (एन/ई, एस/एम)
10. श्री बंसी लाल	परामर्शदाता (सहायक)

संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 209वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 209/I/1:

दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 208वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 208वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 209/I/2:

दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 208वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित 208वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग ने नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 209/I/3:

अनुसंधान अध्ययन- "लिंग, जाति और हिंसा के सांकेतिक अर्थव्यवस्था की समझ- ओडिशा के बुध जिला में अध्ययन"

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात द्वारा प्रस्तुत "लिंग, जाति और हिंसा के सांकेतिक अर्थव्यवस्था की समझ- ओडिशा के बुध जिला में अध्ययन" शीर्षक की अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई।
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार शेष रूपये 64,260/-(केवल चौसठ हजार दो सौ साठ रूपये) (तीसरी किश्त) का समायोजन।
3. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करना/रखना।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति का प्रेषण/अग्रेषण।

यह देखा गया कि अनुसंधान अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अकुशल देरी हुई थी और यह वांछित था कि संबंधित सेल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान अध्ययन की समय रेखा का सावधानीपूर्वक पालन किया जा सकता है।

कार्यसूची मद सं. 209/I/4:

बेकार हो चुके वाहन की जगह नए वाहन की खरीद।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार मैसर्स मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को रूपये 5,18,590/- (केवल पांच लाख अठारह हजार पांच सौ नब्बे रूपये) के व्यय के लिए आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 209/I/5:

मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल को प्रदत्त अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. "मिजोरम के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य" शीर्षक रिपोर्ट की स्वीकृति/अनुमोदन।
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार रूपये 1,00,000/- की शेष राशि (तीसरी किश्त) का समायोजन।
3. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए/रखी जाए।

कार्यसूची मद सं. 209/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 30.09.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद के ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 30.09.2020 तक व्यय विवरणी नोट कर लिया।

कार्यसूची मद सं. 209/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (सितंबर, 2020) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 209/II/3:

पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया (परी) के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, रा.म.आ., और सुश्री मल्लिका नूरानी (अधिवक्ता) वाली जांच समिति की रिपोर्ट, को कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नोट कर लिया है।

अध्यक्षा महोदया के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(मीता राजीवलोचन)	(रेखा शर्मा)
सदस्य सचिव	अध्यक्षा

फा.सं. 4-181/2019-20/रा.म.आ.(ए)-209वीं बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली- 110025

19 अक्तूबर, 2020

विषय: आयोग की 209वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 209वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

प्रति (कृपया सूचनार्थ):

1. माननीय अध्यक्षा/सदस्य/सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव,रा.म.आ.
2. उपसचिव के निजी सहायक, रा.म.आ.
3. सभी विभाग के प्रमुख/ प्रकोष्ठ के प्रभारी, रा.म.आ.- संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे स्थापना अनुभाग को दिनांक 23.10.2020 तक कार्यवृत्त में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को प्रस्तुत करें।
4. सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- आयोग की वेबसाइट पर कार्यवृत्त अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।
6. हिंदी प्रकोष्ठ।
7. गार्ड फाइल।